



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(राष्ट्रक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धमतरी

(Office of Project Director, Project Implementation Unit, Dhamtari)

ब्लॉक एफ-5, शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड, धमतरी-493773 (छ.ग.)

(Block F-5, Shivrāj Greens, Sihawa Road, Dhamtari - 493773 (C.G.))

Email: pdhamtari@nha.org

pdhamtari@nha.org

Phone: 0772233433



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

प.नि./प.का.ई./धमतरी/Rai-Vis/Forest/3593

दिनांक: 25.12.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

केशकाल वनमण्डल

केशकाल, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

विषय:-

धमतरी जिले के धमतरी वन मण्डल, कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल एवं कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NHA PIU-Dhamtari द्वारा Development of Economic Corridors, inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgar under Bharatmala Pariyojna. (Forest proposal is for between Km.42+844 to Km.124.66) हेतु क्षेत्रफल - 228.0425 हे. प्रत्यावर्तन बाबत।

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/मा.वि./6819, दिनांक 24.12.2021

2. डी.पी.आर. कंसल्टेन्ट का पत्र क्र. Yogma-Arki/Lot 3/DPR:636 दिनांक 25.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्र.01 के माध्यम से आपके द्वारा बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय से चाही गयी थी। इस हेतु डी.पी.आर. कंसल्टेन्ट द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी, केशकाल द्वारा प्रेषित EDS का बिन्दुवार अनुपालन तैयार कर इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है।

2. डी.पी.आर. कंसल्टेन्ट द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करते हुए आपके कार्यालय की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
25/12/21

PROJECT DIRECTOR
NHA PIU Dhamtari (C.G.)

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-भू प्रबंध, अटल नगर, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

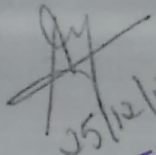
सहप्रतिलिपि :-

2. क्षेत्रीय अधिकारी भा.रा.रा.प्रा., छत्तीसगढ़, प्लॉट नं. एफ-1 अनुपम नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Annexure-I

ई.डी.एस(मा.चि./जी./6819 दिनांक 24.12.2021) का विन्दुवार अनुपालन :

क्र.	EDS	अनुपालन(प्रयोक्ता एजेन्सी)
1	क्षतिपूर्त सिंचित वृक्षारोपण राजस्व भूमि या वनभूमि में किया जाना उल्लेखित करें। वनभूमि पर किया जाना है तो संबंधित वनमण्डल से क्षेत्र का विवरण, रकबा, जी.पी.एस, सर्वे का विवरण प्रस्तुत करें।	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दोगुने वनभूमि हेतु वनमण्डलाधिकारी महारामुंद द्वारा पत्र क्र.मा.चि/6900 दि.16.12.2021 के माध्यम से वनमण्डल महारामुंद अंतर्गत चयनित 457 हे. भूमि का प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धमतरी (नोडल ऑफिस) को प्रेषित किया जा चुका है। अनुलग्नक-1 में संलग्न।
2	आरंज एरिया/राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर जिला - कोडागांव से अनापत्ति प्रमाण- पत्रा संलग्न करें। (OA1512 रकबा 2.5172 हे0 OA1522 रकबा 1.8179 हे0)	प्रस्ताव प्रकरण में व्यापवर्तन प्रभावित भूमि आरंज एरिया में राजस्व वनभूमि सम्मिलित नहीं है। अतः कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
3	वृक्षारोपण हेतु संबंधित वनमण्डल से उपयुक्त प्रमाण पत्रा संलग्न करें।	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दोगुने वनभूमि हेतु वनमण्डलाधिकारी महारामुंद द्वारा पत्र क्र.मा.चि/6900 दि.16.12.2021 के माध्यम से वनमण्डल महारामुंद अंतर्गत चयनित 457 हे. भूमि का प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धमतरी (नोडल ऑफिस) को प्रेषित किया जा चुका है। अनुलग्नक-1 में संलग्न।
4	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्रा संलग्न नहीं है।	प्रक्रियाधीन है। स्टेज 01 के शर्तों के अनुपालन के साथ जमा कर दिया जाएगा।
5	वन अधिकार मान्यता पत्रा से संबंधित कलेक्टर जिला - कोडागांव से अनापत्ति प्रमाण- पत्रा संलग्न करें।	प्रक्रियाधीन है। स्टेज 01 के शर्तों के अनुपालन के साथ जमा कर दिया जाएगा।


 25/12/21
PROJECT DIRECTOR
 NWAI, P.W. Dhamtari (C.G.)

:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल महासमुन्द (छ.ग.) ::

फोन (07723) 222084, Fax :- 222084 - E-mail - dfomahasamund@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि/6900

महासमुन्द दिनांक 16/12/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
धमतरी वनमंडल धमतरी

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल, कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल एवं कोण्डागांव जिले के कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वाणिज्यी उपयोग हेतु NHAI PIU DHAMTARI द्वारा Development of Economic Corridors, Inter Corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand /Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (C.H. 0/000 C.H. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Priyojana. (Forest Proposed is for between km 42+844 to km 124.661) हेतु क्षेत्रफल 228.0425 हे. प्रस्तावित वादत। (पंजीयन क्र. - FP/CG/road/119366/2021)

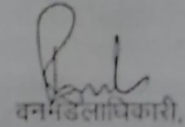
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि/जी/7050 दिनांक 29.11.2021

—00—

विषयातर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा धमतरी वनमंडल, कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल एवं कोण्डागांव जिले के कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वाणिज्यी उपयोग हेतु 228.0425 हे. के एका में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि (विंगडे वनों के सुधार के तहत) हेतु इस वनमंडल अंतर्गत घयनित 457.000 हे. भूमि का वर्तमान वृक्षारोपण सिंचित दर 798897/- प्रति हे. दर से 10 वर्षीय वृक्षारोपण प्रस्ताव तैयार कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुच्छेद 2 (44 विन्दुओं) कि पूर्ति हेतु प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि (विंगडे वनों के सुधार के तहत) हेतु इस वनमंडल अंतर्गत घयनित 457.000 हे. भूमि का प्रस्ताव तैयार कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न-परियोजना प्रतिवेदन कि मूल प्रति (3-3 प्रतियों में)।

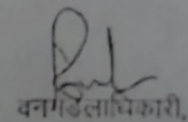

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, महासमुन्द
महासमुन्द, दिनांक 16/12/2021

पृ. क्रमांक/मा.चि/6901

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू. प्रका/व.स.अ.) जटल नगर नगा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, महासमुन्द

E:\MACHI\FCA\FCA.docx

25/12/21
PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Dhamtari (C.G.)

Regarding EDS point No.4 & 5

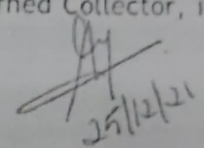
NOC/FRA certificate from Collector

Certify that proceeding for FRA at Gram Panchayat/Village level is ongoing. Further, as per circular (file No.11-43/2013-FC dated 26/02/2019) FRA certificate can be submitted within a stipulated time period in compliance of stage-1 Forest Clearance. (Circular is attached).

Further, office of Project Director, NHAI, PIU-Dhamtari undertake that as soon as FRA proceedings completed and FRA certificate is issued from concerned Collector, it will be submitted.

Date :- 25/12/2021

Place :- Dhamtari



Project Director
NHAI, PIU-Dhamtari
Chhattisgarh

Name: Savyasachi Choudhury

PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Dhamtari (C.G.)